



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-05.04.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चौबेपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 10,000/- रु0 अर्थदण्ड ।

थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-120/2010 धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजेश यादव पुत्र पारसनाथ यादव निवासी सरैया विशुनपुरा थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चौबेपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक-04.04.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-I जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त राजेश यादव उपरोक्त को अंतर्गत धारा 8/22 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में जेल में बितायी गयी अवधि व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी।